

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(43)नविवि/II/2023

जयपुर, दिनांक:

21 JUN 2023


—:आदेश:—

जयपुर विकास प्राधिकरण, कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 की अनुसूची संख्या-1 प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी सेवा की पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.06.2023 की अनुशंषानुसार निम्नांकित उपायुक्त को संयुक्त आयुक्त के पद पर वेतन श्रृंखला 37400-67000 ग्रेड पे-8700 (एल-21) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	वर्ग	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्रीमती पुष्पा जैन	अनारक्षित	2023-24	पदोन्नति दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी

श्रीमती पुष्पा जैन को संयुक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। श्रीमती जैन अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. श्रीमती पुष्पा जैन, संयुक्त आयुक्त द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय